

प्रेमचंद / उत्तर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
15.5.18	<p>पत्रावली देवा दुई। तस्मिन् रिपोर्ट वा अवलोकन दिया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न स्वगत धारणा - पर पर अलिभाषण (अपीलांट की स्वपक्षीय बहस हुई। बहस पर ध्यान करते एवं पत्रावली वा अवलोकन करते से स्पष्ट होता है कि अपील अन्तर्नि आदेश के विषय देवा की जावे है। थूँडि पत्रकार का विषय अर्थात् न्यायालय से ही होगा है। अतः अपीलांट प्रथमतः सबसे न्यायालय से ही चाराजोही करे। अपील अपी रवारिज की जाती है। पत्रावली प्रेषण शुभारंभ होने पश्चात् से वस की जावे बाद तबकील जाहाना तस्मिन् दस्तावेज की जावे।</p> <p style="text-align: center;">९</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>